



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25034

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 4339/2026

चंद्रमा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 21 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कल्प देव मिश्रा, संजय पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
- इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस भेजकर इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आदेश से असंतुष्ट है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
- इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2-उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील-सदर, जिला गाजीपुर को याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 02.08.2024 को दायर किए गए रिकॉल आवेदन पर वाद संख्या RST/39/2008-09, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T200814291015 में शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, फिर भी इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 का निर्देश दिया जाता है कि वह उपरोक्त आवेदन पर विधि के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः तीन महीने के भीतर निर्णय ले, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

4 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"